न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र खारिया तला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नखताराम पुत्र मोतीराम 2 किस्तुराराम पुत्र नखताराम 3 मगाराम पुत्र नखताराम 4 मदाराम पुत्र नखताराम जाति कुमावत निवासी प्रागाणियें की ढ़ाणी खारिया तला तहसील व जिला बाड़मेर		1.ताजाराम पुत्र पेमाराम 2 कानाराम पुत्र ताजाराम जातियान जाट निवासी प्रागाणियों की ढ़ाणी तहसील व जिला बाड़मेर 3 सरूपाराम पुत्र भोपाराम 4 पुरखाराम पुत्र भोपाराम 5 द्वारकाराम पुत्र टीलाराम 6 वीराराम पुत्र टीलाराम 7 जसाराम पुत्र मोतीराम 8 धन्नाराम पुत्र जसाराम 9 आदेश कुमार पुत्र जसाराम 10 मगराम पुत्र जसाराम जातियान कुमावत निवासी निवासी प्रागाणियों की ढ़ाणी खारिया तला तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–175 / 2021 दिनांक–11.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रागाणियों की ढ़ाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 950 / 728 रकबा 69.02 बीघा, खसरा नंबर 951 / 728 रकबा 18.19 बीधा, खसरा नंबर 954 / 728 रकबा 26.16 बीघा, खसरा नंबर 848 / 395 रकबा 26.14 बीघा, खसरा नंबर 849 / 398 रकबा 27.05 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर
दिनांक– 11/11/2021

क्रमांक / रीडर / 2021 / 6264 – 6267

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नखताराम पुत्र मोतीराम वगैराह जाति कुमावत निवासी प्रागाणियों की ढ़ाणी खारिया तला तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण ताजाराम पुत्र पेमाराम वगैराह जाति जाट / कुमावत निवासी प्रागाणियों की ढ़ाणी खारिया तला तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

C:\Users\Raj\Desktop\SDM BAEMER COURT DOCUMENT\251 A\order 251.docx